प्रेषक,

अमृत अभिजात,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नगरीय निकाय निदेशालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग–7 लखनऊ : दिनांक : 22 फरवरी, 2024

विषयः उ0प्र0 लोक सेवाओं में पदोन्नति के प्रक्रम पर राज्याधीन सेवाओं में दिव्यांगता से ग्रसित व्यक्तियों के लिये आरक्षण सुनिश्चित करने हेतु कार्मिक अनुभाग–2 के शासनादेश दिनांक 03.02.2008 एवं दिनांक 04.08.2022 को अंगीकृत (**Adopt**) किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक–8/3807/08(1)/लेखा परी0/प्रोन्नति/2023, दिनांक 01.10.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा कार्मिक अनुभाग–2 के शासनादेश सं0–18/1/2008(।।)का–2/2018, दिनांक 03.02.2008 एवं शासनादेश सं0–10/2022/18/1/2008/47/क–2/2022, दिनांक 04.08.2022, जिसमें दिव्यांगों को प्रोन्नति में आरक्षण के प्राविधान उल्लिखित है, को उ0प्र0 पालिका केन्द्रीयित कर्मचारियों हेतु अंगीकृत होने के संबंध में सूचना उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उ०प्र० पालिका (केन्द्रीयित) सेवा के कार्मिकों को उ0प्र0 लोक सेवाओं में पदोन्नति के प्रक्रम पर राज्याधीन सेवाओं में दिव्यांगता से ग्रसित व्यक्तियों के लिये आरक्षण सुनिश्चित किये जाने हेतु कार्मिक अनुभाग–2 के शासनादेश सं0–18/1/2008(।।)का–2/2018 दिनांक 03.02.2008 एवं शासनादेश सं0–10/2022/18/1/2008/47/क–2/2022, दिनांक 04.08.2022 को उ0प्र0 पालिका (केन्द्रीयित) सेवा नियमावली, 1966 यथासंशोधित के नियम–47 के अधीन अंगीकृत (Adopt) किये जाने का निर्णय लिया गया है।

भवदीय,

(अमृत अभिजात)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत द्वारा निदेशक, नगरीय निकाय, उ0प्र0।
4. कार्मिक अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन।
5. नगर विकास विभाग के समस्त अनुभाग।
6. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से,

Digitally Signed by कल्यान बनर्जी
Date: 22-02-2024 18:25:35
Reason: Approved

(कल्यान बनर्जी)
संयुक्त सचिव।